आवश्यक
ई–मेल

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/2015 जयपुर, दिनांकः 29.09.2020

परिपत्र

वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 में संशोधन करते हुए पत्र क्रमांक एफ 17(1) खा.वि./न्याय/2010 दिनांक 26.09.2017 द्वारा उचित मूल्य दुकान प्राप्त किए जाने हेतु **सामान्य आवेदक के लिए** यदि वह कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ नहीं है, उन्हें आवेदन के साथ घोषणा करनी होती है कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जायेगा।

अनुकम्पात्मक आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटन किए जाने में भी उक्तानुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाने में 08 माह की समयावधि लागू है।

वर्तमान में कोविड–19 के कारण RKCL द्वारा कम्प्यूटर योग्यता हेतु परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में 08 माह की अवधि में कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में **जिन आवंटियों की RKCL की कम्प्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 21.03.2020 को पूर्ण हो रही थी या उसके बाद पूर्ण हो रही थी, केवल उन्हीं प्रकरणों में एक बारीय छूट प्रदान करते हुए दिनांक 31.03.2021 अथवा RKCL की कम्प्यूटर योग्यता की परीक्षा आयोजित होने तथा उसका परिणाम जारी होने के बाद 15 दिवस की अवधि तक का शिथिलन, जो भी पूर्व में हो दिया जाता है।**

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Gera 28/9/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव (खाद्य)

क्रमशः

क्रमांक एफ 17( )खा.वि./न्याय/2015 **जयपुर, दिनांकः 29.09.2020**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. समस्त महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, राजस्थान।
9. निदेशक (उपभोक्ता मामले/विधिक माप विज्ञान विभाग), खाद्य विभाग, जयपुर।
10. समस्त विभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
11. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले, जयपुर।
12. उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जयपुर।
13. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, एनआईसी, खाद्य विभाग को ई–मेल /पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
15. पत्रावली **क्रमांक एफ 17(16)खा.वि./न्याय/2011** एवं **क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/2008** में सन्दर्भ हेतु।
16. रक्षा पत्रिका।

28/09/2020

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव